राजस्थान सरकार

कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षण विभाग

कार्यालय मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, 6 सी, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर 302004

क्रमांक 411 दिनांक 24/02/2021

आदेश

राज्य के उद्योगों पर व्यावसायिक नियामकों की अनुपालनाओं (Regulatory Compliances) का बोझ कम कर उद्योगों को प्रोत्साहन देने तथा EoDB के लिये ऑनलाइन तकनीक का उपयोग करने व स्व प्रेरणा से नियमों की त्वरित पालना के लिये विकल्प देने हेतु कारखाना प्रबंधन को कारखाना अधिनियम, 1948 व इसके अन्तर्गत बने राजस्थान कारखाना नियम, 1951 तथा वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 व इसके अन्तर्गत बने राजस्थान वेतन भुगतान नियम, 1961 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी Self-certification scheme for factories के प्रावधानों को सरलीकृत कर स्वः निरीक्षण (Self-inspection) करने के लिये कारखाना कब्जेदार को अधिकृत किया जाता है।

1. कोई भी कारखाना कब्जेदार उक्त कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 11-41, 42-83 के अन्तर्गत बने राजस्थान कारखाना नियम, 1951 के नियमों के प्रावधानों का स्वः निरीक्षण (Self-inspection) कर सकता है। जिसकी अधिघोषणा वह SSO ID के माध्यम से RajFAB में login कर ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकता है।
2. कोई भी कारखाना कब्जेदार उक्त वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 की धारा 26 के अन्तर्गत बने राजस्थान वेतन भुगतान नियम, 1961 के नियमों के प्रावधानों का स्वः निरीक्षण (Self-inspection) कर सकता है। जिसकी अधिघोषणा वह SSO ID के माध्यम से RajFAB में login कर ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकता है।

कारखाना कब्जेदार की उक्त अधिघोषणा के पश्चात उक्त स्वः निरीक्षण किये गये नियामकों की अनुपालनाओं (Regulatory Compliances) की जांच विभागीय निरीक्षक/Third Party द्वारा निरीक्षण के दौरान नहीं की जावेगी।

राज्य सरकार के निर्देशानुसार कारखानों व बायलर्स के निरीक्षण randomised and computerised प्रकार से Central Inspection System द्वारा ही जारी किये जावेंगें। कारखानों के निरीक्षण श्रम निरीक्षक के साथ Joint Inspection किया जावेगा। Surprise inspection विभागाध्यक्ष की अनुमति से ही किये जावेंगें।

उक्त आदेश किसी शिकायत अथवा कारखाने में दुर्घटना होने की स्थिति अथवा मुख्य निरीक्षक / प्रशासनिक / राज्य सरकार के किसी आदेश अथवा न्यायालय के आदेश अथवा मानवाधिकार आयोग के आदेश की स्थिति में लागू नहीं होंगे।

24/02/2021

(मुकेश जैन)

मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बालयर्स

राजस्थान, जयपुर